213/57-2022 3(39)/2018-TC 6

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासना

सेवा में,

आयुक्त/निदेशक धर्मार्थ कार्य विभाग
वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ:दिनांक 2 मई, 2022

विषय:- श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण/सौन्दर्यीकरण योजना के अनुपूरक परियोजना के निर्माण हेतु धनराशि आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-666/पीका०वि०वि००वि०प०/1-2/मु०का न0-2021 दिनांक 18.02.2022 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण/सौन्दर्यकरण परियोजना की अनुपूरक प्रायोजना के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा उक्त प्रायोजना की प्रस्तावित लागत 5775.23 लाख+जी0एस0टी0 के सापेक्ष लागत रू0 5498.29 लाख + जी0एस0टी0 पर अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया गया, तत्पश्चात शासनादेश संख्या-1047/57-2021-3(39)/2018 टीवी-6 दिनांक 09.11.2021 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू० 200.00 लाख (दो करोड़ निर्गत किया गया। तदोपरान्त आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के पत्र संख्या-446/श्री कावि०वि०शे०वि०प०/मु०काअधि 2021 दिनांक 25.11.2021 द्वारा उक्त अनुपूरक परियोजना का पुनरीक्षित आगमन रू0 6882.00 नाव + जी०एस०टी० उपलब्ध कराया गया। उक्त आगणन का परीक्षण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया तथा परीक्षणोंपरान्त प्रायोजना की लागत रू0 6750.83 नाथ + जी०एस०टी० मूल्यांकित किया गया। उक्त का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया गया तथा परीक्षणोपरान्त प्रायोजना की लागत 6423.19 लाख + जी०एस०टी० मूल्यांकित किया गया। तत्पश्चात व्यय वित्त समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त क अनुपूरक परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 6423.19 लाख + जी0एस0टी0 सहित पर कार्य कराने का अनुमोदन प्रदान किया गया। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-1337/57-2021-3(39)/2018 टीमी-6 दिनांक 27.12.2021 द्वारा रू० 200.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-98/57-2022-3(39)/2018 टीवी-6 दिनांक 28.02.2022 द्वारा रू0 800.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 1200.00 नाम निर्गत किया जा चुका है।

3- उल्लेखनीय है कि व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 17.12.2021 में जनपद-वाराणसी में भी कानी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण/सौन्दर्यीकरण कार्यों से संबंधित अनुपूरक परियोजना हेतु 0423.19 लाख+जी0एस0टी0 पर व्यय वित्त समिति द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें कार्य की लागत 5558.35 लाख निर्धारित है। अवगत कराना है कि कार्य की लागत एवं वेबर सेस पर ही जी०एस०टी० देहै। इस प्रकार उक्त योजना की कार्य की लागत रू0 5558.35 लाख, 01 प्रतिशत लेवर मेरा रू0 55.58 लाख, 12 प्रतिशत जी०एम०टी० रू0 673.67 लाख, माइट कॉन्सटेन्ट रू0 277.92 लाख, कंटिजेंसी 01 प्रतिशत रू0 55.58 लाख, सुपरविजन चार्ज (02 प्रतिशत रू0 111.17 लाख, एजेंसी चार्ज 03 प्रतिशत रू0 166.75 लाख, इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्शन (यू०पी०पी०सी०एल०) रू० 179.79 लाख तथा बाट आउट आइटम एलिवेटर रू0 18:05 साख को जोड़ते हुए उक्त योजना की जी०एस०टी० सहित कुल लागत रू0 7096.86 लाख होती है, जिसमें से पूर्व में 1200.00 लाख निर्गत किया जा चुका है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में वाराणसी में गंगा नदी से विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग का विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण हेतु प्राविधानित धनराशि 7700.00 लाख (रू) सतहत्तर करोड मात्र) के सापेक्ष भी काशी विश्वनाथ मन्दिर विस्तारीकरण/सौन्दर्यकरण योजना के अनुपूरक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना की जी०एम०टी० सहित कुल लागत स0 7096.86 लाख में से पूर्व में अवमुक्त कुल धनराशि रूप 1200.00 लाख को घटाने तथा 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 354.84 लाख (कार्य पूर्ण होने तथा गुणवत्ता मे सन्तुष्ट होने के उपरान्त अवमुक्त की जाएगी) बकाया रखने के उपरान्त रू0 5542.02 लाख (रू) पचपन करोड़ बयालीस लाख दो हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उक्त धनराशि आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के माध्यम से निर्माण इकाई लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त किये जाने हेतु आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रायोजना के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-89/57-2020-3(39)2018 दिनांक 24.01.2020 में अंकित शर्तों सहित व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय:- (क) प्रस्तावित कार्य को इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन (ई0पी0सी0) MODE पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाय।

(ख) प्रायोजना में निहित ऐसी समस्त निविन एवं विद्युत कार्यमदं जो कि लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची में नहीं हैं तथा जिनकों बाजार दरों कोटेशन पर आधारित किया गया हैं, को इन्डीकेटिव दरें माना जाय। इन दरों को न्यूनतम एवं वास्तविक दरों पर कराये जाने का पूर्णउत्तरदायित्व श्री काशी विश्वानाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद वाराणसी/कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग का होगा। प्रायोजना की प्रस्तावित मदों हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में किया जाय जिसमे मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग वाराणसी क्षेत्र तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वानाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, सदस्य होंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि इनकी दरें न्यूनतम् स्तर पर स्थिर हो जाये।

(ग) प्रस्तावित कार्य मान्यूमेन्टल श्रेणी के हैं तथा अत्यधिक आरनामेन्टल कार्य स्टोल एवं मार्बल के साथ प्रस्तावित किये गये हैं तथा प्रायोजनान्तर्गत प्राविधानित विशिष्टियां प्रायोजना निर्माण कार्य हेतु नियुक्तआर्किटेक्ट द्वाराउपलब्ध करायी गयी डिजाइनड्राइंग के अनुसार हैं एवं लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वानाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद द्वारा प्रायोजना में निहित समस्त लेआउट, ड्रॉइगडिजाइन, प्राविधान एवं तकनीकी पहलू जो कि विचारण के समय प्रायोजना हेतु नियुक्त कन्सलटेन्ट द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को Freeze किया जायेगा एवं समस्त ड्राइंग / डिजाइन एवं लेआउट को हस्ताक्षरित कर शासन को भी प्रति हस्ताक्षरित करायी जायेगी, जिससे कि प्रायोजना के स्वरूप में विचलन की सम्भावना न्यून हो सके अर्थात् निर्माण इकाई को पूर्व चयनित आर्किटेक्ट के द्वारा अपने प्रोजेक्ट कांट्रेक्टर को उपलब्ध करायी गयी इंजीनियरिंग, ड्राइंग एवं डिजाइन केआधार पर ही प्रोक्योरमेंट व कंस्ट्रक्शन का कार्य कराना होगा एवं इसके निर्देश किया जायेगा।

(ड.) प्रायोजनान्तर्गत प्राविधानित मृदा संबंधित परीक्षण आईआईटी बीएचयू द्वारा प्रतिहार किये गये है तथा स्टुक्चर्स को यथावत रखा गया है। भवनों के फाउण्डेशन का निर्धारण की प्रतिमे डिजाइन कराकर किया जाय।

(च) प्रायोजन के कार्य स्थल के पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए अनापत्ति प्राप्त की जाय।

(ख) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित ऐसे समस्त पद जोकि बाट बेणी के हैं जिनकी क के आधार पर प्रस्तावित की गई है, लागत बजटरी ऑफर, इनके मेक, माडल एवं फकेशन के अंतर्गत से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी एवं मु कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी कार्यदायी संसप्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें तथा निर्माण के समय इनका एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय अर्थात् स्टीमेट में बिजली के उपकरणों बाद श्रेणी का बेसिक रेट लिया जाय तथा निर्माण के उपरान्त नाइट आदि आधुनिकतम तकनीक तथा दो आधार पर पारदर्शी वित्तीय नियमों के अनुरूप निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त कर की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(ज) आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री काशी विद्यानाथ लिए क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
(झ) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप आयुक्त वाराणसी मण्ड वाराणसी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय
(अ) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था आयुक्त, वाराणी मण्डल, वाराणसी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वानाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी का होगा।
(ट) शासन द्वारा प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्दे में किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
(ठ) आगणन का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानओं को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कामों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कामों की लागत में यदि वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर आयुक्त, वाराणसी द्वारा 03 माह के अन्दर पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। (ट) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (दुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से युक्त वाराणसीमण्डल वाराणसी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी काशी विद्याताय चिलिए क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य विकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी जन् कार्य योजना में सम्मिलित है।
(ई) प्रयोजनान्तर्गत निर्माण कार्य की विशालता एवं भव्यता को देखते हुए प्रायोजनान्तर्गत प्रयोग की जाने वाले उच्च विशिष्टियों, निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यों की प्रगति के सतत् अनुचरण हेतु शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाय
(2) प्रगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा:
(3) कार्य की विशिष्टिया मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी की होगी तथा आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो

जायें तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। (4) आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री काशी विश्वानाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
(5) संस्था द्वारा नियमानुसार लेवरमेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(6) आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप दिनांक 30 दिसम्बर, 20021 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) आयुक्त, वाराणसी मण्डन, वाराणसी एवं कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा ई-टेण्डर/ई- प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से संबंधित निर्गत समस्त शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(8) आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जाय व दो माह की आवश्यकतानुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिनत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये। (9) कार्य की विशिष्टियों मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वानाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी एवं लोक निर्माण विभाग की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(10) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन काष्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्मत दिशा निर्देशों एवं बजट मैन्युअल के प्रस्तर-212 (सात) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा

(11) यह अनिवार्य रूप से सुनिधित किया जायेगा कि कार्यों के गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तखण्ड पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा।(13) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंकाक पर/पी०एन०ए० डिपाजिट खाता में नहीं रखा जायेगा तथा कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार लेवरसेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। (14) प्रायोजना आगणन में प्रस्तावित विभिन्न कार्यमदों की मात्राओं एवं प्राविधानों को कार्यन्वयन के समय सुनिधित किये जाने का समस्त उत्तरदायिल कार्यदायी संस्था ✠ होगा। 15- उक्त योजना की बकाया 05 प्रतिशत की धनराशि को परियोजना का कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त की जायेगी।

6- कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी०एस०टी० भुगतान के संबंध में प्रामाणिक प्रपत्र आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।" कृपया उपरोक्त प्राविधानानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 55,42,02,000 (रुपये पचपन करोड़ बयालीस लाख दो हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 084 लेखा शीर्षक 4250008000700 वाराणसी में गंगानदी से विश्वनाथ मंदिर तक के मार्ग का विस्तारीकरण / सुन्दरीकरण मानक मद 24 बृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-213/57-2022 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराजा
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वानाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद
4. कोषाधिकारी, वाराणसी।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी। 6. जिलाधिकारी, वाराणसी।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी क्षेत्र वाराणसी।8. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी क्षेत्र वाराणसी। 9. वित्त व्यय नियंत्रण- 5 / सामान्य प्रशासन अनुभाग ।
10. गार्ड फाइला

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(अशोक कुमार तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।